

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 नवम्बर 2025—अग्रहायण 7, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 नवम्बर 2025

क्रमांक File No. PLGMJ-2301/4/2025-GAD-1.—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 22-09-2025 से 23-09-2025 तक कुल 02 दिन का (अवकाश पूर्व दिनांक 20-09-2025 से 21-09-2025 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ सहित) पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. भूआर्य, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 नवम्बर 2025

क्रमांक File No. GENS/17642/2025-EXCISE.—राज्य शासन, एतद्वारा, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रम, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक निम्नानुसार अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में दर्शित पद पर नियुक्त करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम व पदनाम	छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निदेशक मंडल
(1)	(2)	(3)
1.	श्री विकास शील (भा.प्र.से.) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष (गैर-पूर्णकालिक)

2. उक्त नियुक्ति हेतु समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 अक्टूबर 2025

क्रमांक एफ 1-12/2011/XII.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ भौमिकी तथा खनिकर्म, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 14 के कॉलम (5) में, अंक “5000-150-8000” के स्थान पर, अंक “5500-175-9000” प्रतिस्थापित किया जाये.
- अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 21 के कॉलम (5) में, अंक “4500-125-7000” के स्थान पर, अंक “5000-150-8000” प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 अक्टूबर 2025

क्रमांक एफ 1-12/2011/XII.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-12/2011/XII, दिनांक 6-10-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar, the 6th October 2025

No. F 1-12/2011/XII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Geology and Mining, Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In Column (5) of serial number 14 of Schedule-I for the figures “5000-150-8000”, the figure “5500-175-9000” shall be substituted.
2. In Column (5) of serial number 21 of Schedule-I for the figures “4500-125-7000”, the figure “5000-150-8000” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRIKANT VARMA, Deputy Secretary.

समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 अक्टूबर 2025

क्रमांक FINACC-3602/1526/2025.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के मेमोरण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 41(3) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार, संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 16-05-2025 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक-5 में लिये गये निर्णय अनुसार पूर्व संचालक मण्डल को कंपनी रजिस्ट्रार तथा MOM के प्रावधानों के अनुरूप भंग कर वर्तमान में छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम हेतु मनोनीत अध्यक्ष महोदय द्वारा संचालक मण्डल के पुनर्गठन हेतु नवीन सदस्यों से प्राप्त सहमति के आधार पर निम्नानुसार नियुक्ति की जाती है :—

1.	श्री लोकेश कावड़िया	—	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेश कांकरिया	—	समाज सेवी, रायपुर
3.	श्री प्रदीप टंडन	—	अध्यक्ष, जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, रायपुर
4.	श्री भीषम देवांगन	—	समाज सेवी, शंकर नगर, रायपुर
5.	श्री प्रमोद जैन	—	समाज सेवी, रायपुर
6.	श्रीमती जानकारी गुप्ता	—	समाज सेवी, धमतरी
7.	श्रीमती आरती त्रिवेदी	—	समाज सेवी, शंकर नगर रायपुर
8.	श्री हरेन्द्र पटेल	—	समाज सेवी, शंकर नगर, रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामलाल खैरवार, उप सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 अक्टूबर 2025

क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्वारा उक्त संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन पर 05 वर्षों हेतु स्थायी पंजीयन करता है :—

क्र.	जिला	शासकीय संस्था का नाम	बाल गृह का पता	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता	पंजीयन क्रमांक
1.	बालोद	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 झलमला, धमतरी रोड, जिला-बालोद	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/BAL OD/ 24-25
2.	बलौदा बाजार	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	पुराना कलेक्ट्रेट परिसर, कक्ष क्रमांक-23, बलौदाबाजार	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/BB/ 24-25
3.	बलरामपुर	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	सिविल न्यायालय के बगल में, सखी वन स्टाप सेंटर परिसर, बलरामपुर	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	02/BLRP UR/ 24-25
4.	बेमेतरा	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे, पुराना डाईट हॉस्टल भवन, कोबिया, बेमेतरा	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/BTM /24-25
5.	बीजापुर	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	जिला प्रशासन द्वारा संचालित बालगृह (बालिका), पता-गंगालूर रोड अटल आवास बीजापुर, जिला बीजापुर	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	05/BJPR /24-25

क्र.	जिला	शासकीय संस्था का नाम	बाल गृह का पता	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता	पंजीयन क्रमांक
6.	धमतरी	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	पुरातत्व विभाग बिल्डिंग कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे, धमतरी	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	02/DMTR/24-25
7.	गरियाबंद	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	पंजाब नेशनल बैंक के सामने वाली गली, शिवम कॉलेज गरियाबंद के बाजू में, गरियाबंद	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/GRBD/24-25
8.	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरेला के बाजू में जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/GPM/24-25
9.	जांजगीर-चांपा	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	हेल्प एंड हेल्प्स समिति बालगृह (बालक), पुराना सिचाई कॉलोनी वार्ड नं. -19 मोहित नेत्रालय के पीछे, जांजगीर	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	03/JC/24-25
10	कोण्डागांव	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	जिला अस्पताल परिसर, जिला-कोण्डागांव	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	03/KDGO/24-25
11	कोरिया	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	चाईल्ड लाईन कार्यालय, समाज कल्याण विभाग के बगल में, मेन रोड बैकुंठपुर, जिला-कोरिया	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	05/KORIA/24-25
12	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	आईएफसी गोदाम के पास चैनपुर मनेन्द्रगढ़ जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/MCB/24-25
13.	मोहला-मानपुर - अम्बागढ़ चौकी	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	हाऊसिंग बोर्ड के सामने श्यामशाह महाविद्यालय के पीछे, मोहला जिला-मोहला-मानपुर - अम्बागढ़ चौकी	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/MMA/24-25

क्र.	जिला	शासकीय संस्था का नाम	बाल गृह का पता	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता	पंजीयन क्रमांक
14.	मुंगेली	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	बालगृह बालक प्रांगण, जिला हॉस्पिटल रोड, मुंगेली	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	02/MUNGELI/24-25
15.	नारायणपुर	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	क्वा. नं. 16 दीनदयाल आवास कालोनी चाईलड हेल्पलाइन कार्यालय के बाजू में, जिला-नारायणपुर	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	03/NRYNP/24-25
16.	सारंगढ़-बिलाईगढ़	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खेलभाठा मैदान सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/SB/2024-25
17.	सक्ती	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	उपस्वास्थ्य केन्द्र परिसर, पोरथा, जिला-सक्ती	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/SAKTI/24-25
18.	सुकमा	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	बस स्टैंड घड़ी चौक के पास नया हाई स्कूल परिसर मिनी स्टेडियम ग्राउंड के सामने, जिला-सुकमा	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	02/SUKMA/24-25
19.	सूरजपुर	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	प्रथम तल एसडीएम कार्यालय मनेन्द्रगढ़ रोड, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/SRJ/24-25

- यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से 05 वर्षों हेतु वैध होगा.
- संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा.
- संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा.
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन करना अनिवार्य होगा.
- संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सक्ती, दिनांक 12 सितम्बर 2025

क्रमांक/426/07/अ-82/2022-2023.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	चन्द्रपुर	चंदली प.ह.नं. 10	4.224	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु. खरसिया, जिला-रायगढ़	केलो परियोजना के अंतर्गत कलमा माइनर 02 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अ.मु.-खरसिया, जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

सक्ती, दिनांक 12 सितम्बर 2025

क्रमांक/429 क/अ-82/2024-2025.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	चन्द्रपुर	महादेवपाली प.ह.नं. 11	0.261	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु. खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत कलमा माइनर 02 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 19 सितम्बर 2025

प्र. क्रमांक 02/अ-82/2020-21/3316.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
(ख) तहसील-मरवाही
(ग) नगर/ग्राम-देवरीडाड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.585 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6, 7	0.235
11	0.061
1/10	0.061
10/1	0.041
13, 14	0.057
10/3	0.049
10/4	0.045
9/1	0.036
योग	10 0.585

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजाडीह जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 19 सितम्बर 2025

प्र. क्रमांक 06/अ-82/2020-21/3310.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
(ख) तहसील-मरवाही
(ग) नगर/ग्राम-करगीकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.709 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
787	0.709
योग	01 0.709

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य/डुबान कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी अंतागढ़
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

अंतागढ़, दिनांक 13 अक्टूबर 2025

उद्घोषणा-पत्र

भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना

क्रमांक/878/अविअ/ऑनलाईन दर्ज प्र. क्र. 202203141400005/भू-अर्जन/अ-82/2021-22.—चूंकि जिला कांकेर के करेगांव-मण्डागांव मार्ग कि.मी. 3/4 मण्डागांव नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य में वर्णित भूमि ग्राम मण्डागांव, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में स्थित भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है, और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिए प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं. अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं व अपने अभिकर्ता के साथ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में दिनांक 23-10-2025 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अंतागढ़ में प्रातः 11.00 बजे दिन गुरुवार को उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक एवं माप के संबंध में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं. नियत अवधि के पश्चात् दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर वृक्ष का विवरण (छाता गोलाई)	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
(1)	(2)	(3)	(4)	ख.नं.	रकबा हे. में	एकड़ में	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	मण्डागांव	अंतागढ़	श्रीमती रजनीबाई पति लादू जाति गोंड	314	0.12		पड़त	निरंक	निरंक	करेगांव-मण्डागांव मार्ग के
2.	मण्डागांव	अंतागढ़	विजयलाल पिता निरंगसाय, कचरीबाई पति निरंगसाय जाति हल्बा	597	0.03		पड़त	निरंक	निरंक	कि.मी. 3/4 में मण्डागांव नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग
कुल योग				2	0.15					

अंजोर सिंह पैकरा
अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
एवं भू-अर्जन अधिकारी

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2025

क्रमांक/17126/चेकर/तीन-6-1/2000.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का अधिनियम क्रमांक 46), की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-6049/तीन-6-1/2000 दिनांक 15 अप्रैल 2024 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्वारा निम्न सारणी के स्तंभ (1) में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 (सन् 1966 का 29) एवं रेलवे एक्ट 1989 (सन् 1989 का 24) के अंतर्गत दण्डनीय और रेल भूमि के उस भाग जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है, में होने वाले अपराधों की जांच एवं विचारण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3403/21-ब (छ.ग.)/2001 दिनांक 04, जुलाई, 2001 द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का अधिनियम क्रमांक 46) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय का, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है :—

सारणी

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (1)	मुख्यालय (2)	स्थानीय क्षेत्र (3)
श्री मयंक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर	रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम (कवर्धा) एवं बिलासपुर.

No. 17126/Checker/III-6-1/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 9 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) and in supersession of its previous Notification No. 6049/III-6-1/2000, dated 15-04-2024 the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby, appoints the Judicial Magistrate First Class shown in column no. (1) of the table below to be the presiding officer of the Court of Special Magistrate established by the Govt. of Chhattisgarh under section 9 (1) of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) vide Law and Legislative Affairs Department Notification no. 3403/21-B (C.G.)/2001, dated 04th July, 2001 for enquiry and trial of offences under the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under the Railway Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) arising out of the Railway Lands running through territories of Civil District shown in column No. (3) of the said table with effect from the date of his assuming charge of his office.

Name of the Judicial Magistrate First Class (1)	Head Quarter (2)	Local Area (3)
Shri Mayank Soni, Judicial Magistrate First Class, Raipur	Raipur	Raipur, Mahasamund, Dhamtari, Balodabazar, Durg, Bemetara, Balod, Rajnandgaon, Kabirdham, (Kawardha) and Bilaspur.

By Order of the High Court,
MANSOOR AHMED, I/c Registrar General.